राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: F-59. STP/DLB/L.P. -Asind (1188)/17/ 243 दिनांक :- 15/02/2023

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, आसीन्द।

विषयः-सुन्दरबाई भैयलाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी जरिये अध्यक्ष श्री रोशनलाल संचेती पुत्र श्री भैरूलाल संचेती के स्वामित्व राजस्व ग्राम खातोला के खसरा नम्बर 680 से 688 कुल किता 09 कुल रकबा 4.16 हैक्टेयर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान के तकनीकी अनुमोदन एवं नियमन स्वीकृति बाबत्।

संदर्भः-आपके कार्यालय पत्र क्रमांक 4716, दिनांक 17.11.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्व ग्राम खातोला के खसरा नम्बर 680 से 688 कुल किता 09 कुल रकबा 4.16 हैक्टेयर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टे जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन के प्रदान की जाती है:-

1. प्रकरण में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर के पत्र दिनांक 23.09.2022 में वर्णित शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी।
2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित केनाल से ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार 30 फीट सड़क के मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी।
3. नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-IV, जयपुर, दिनांक 22.06.2017 के बिन्दु संख्या (ii) अनुसार 'संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोडे जाने की अनिवार्यता नही होगी। संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, ऑवरहैड वॉटर टेंक आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी' उल्लेखित है। अतः उपरोक्त आदेश की सुनिश्चितता की जानी होगी।
4. राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.07.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदित भूमि खातोला-दुदिया सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 80 फीट निर्धारित किया गया है। अतः सड़क मार्गाधिकार की भूमि समर्पित करवाते हुए शेष भूमि का एकल पट्टा जारी किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
5. प्रकरण में राजस्थान मॉडल भवन विनियम-2020 एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी।
6. प्रकरण में स्वामित्व, क्षेत्रफल, भूमि पर कोई वाद-विवाद नहीं होने तथा भूमि प्रतिबंधित किस्म की भूमि नहीं होने की जांच स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव